न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 3766–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 09–10–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, सिरोज जिला–विदिशा प्रकरण कमांक 45/अ–6 /2013–14.

———

दौलत सिंह पुत्र बारेलाल रघुवंशी
निवासी ग्राम चंद्राढाना तहसील सिरोज,
जिला – विदिशा (म.प्र.)

——— आवेदक

विरूद्ध

लखनसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह रघवंश सिंह
निवासी ग्राम बिहारीपुर (तमोस) तहसील बासौदा
जिला विदिशा (म.प्र)

——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश बेलापुरकर ।

———

:: आदेश ::
(आज दिनांक 04-06-2015 — को पारित)

———

यह निगरानी नायब तहसीलदार, सिरोंज जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 45/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 9–10–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में संहिता की धारा 109 एवं 110 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि ग्राम चन्दाढाना एवं ग्राम बामनखेड़ी स्थित विवादित भूमि आवेदक की बुआ भगवतीबाई के नाम से सरकारी कागजात में दर्ज है । भगवतीबाई ने अपने जीवनकाल में उनके पक्ष में विवादित भूमि की वसीयत करदी है । अतः उक्त भूमि का नामांतरण उनके पक्ष में किया जाये । उक्त आवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार ने कार्यवाही प्रारंभ की । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आदेश 14 नियम सी.पी.सी. का आवेदन पेश किया जो

नायब तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । नायब तहसीलदार के इस अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक मृतक भगवतीबाई का पति है और वह अंतिम समय तक उसके साथ रही । अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक की ओर से विधिवत जबाव पेश किया गया था एवं आदेश 14 नियम 1 सीपीसी के आवेदन पेश किये गये थे ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदन पत्रों का निराकरण सर्वप्रथम करना चाहिए था जो नहीं किया गया है और बिना विधिवत विचार करे आवेदन निरस्त किया है जो त्रुटि पूर्ण है ।

4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण के संबंध में है जिसमें विवादित बिंदु यह है वसीयत की गई है या नहीं शेष के संबंध में चूंकि आपत्तियां नहीं की गई थीं इसलिए उन बिंदुओं पर विचार नहीं किया गया और विपक्षी के साक्षियों को कूट परीक्षण के लिए उपस्थित होते हुए समय लेने के 100/– रूपये प्रति साक्षी व्यय पर समय दिया गया था किंतु 400/– रूपये खर्च के नहीं चुकाए गए । आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 14 नियम 1 सी.पी.सी. पर विचार कर अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित प्रश्नों का विनिश्चय आवश्यक पाया । विचारण न्यायालय ने यह मानते हुए कि केवल वसीयतनामा ही विवादित है इसलिए अन्य बिंदुओं के विनिश्चय का प्रश्न नहीं उठता है और चूंकि 3 बार समय दिया जा चुका है इसलिए आवेदन निरस्त किया है तथा साक्ष्य हेतु समय दिए जाने के संबंध में प्रति साक्षी 100/– के मान से अनावेदक को व्यय का भुगतान करने का आदेश देते हुए प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में जो अधीनस्थ न्यायालय का आदेश है वह न्यायिक आधारों पर है उसमें ऐसी कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है, जिस कारण उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर